संख्या-56/2025/1224/2025/1862321/2025 /12-5/39/2023

प्रेषक,

एस0पी0गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक: 26 सितम्बर, 2025**

विषयः- एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत ई-खसरा पड़ताल (DCS) के अन्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य किए जाने एवं फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने हेतु विशेष अभियान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-54/2025/ 1153 /2025/1862321/2025 /12-5/39/2023, (कृषि अनुभाग-5), दिनांक 11 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ई-खसरा पड़ताल (DCS) के अन्तर्गत खरीफ मौसम 2025 से डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य कराए जाने हेतु कतिपय निर्देशों के साथ उक्त कार्य को दिनांक 25 सितम्बर, 2025 तक पूर्ण कराये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- ई-खसरा पड़ताल (DCS) के अन्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य किए जाने एवं एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. ई-खसरा पड़ताल (DCS) के अन्तर्गत खरीफ मौसम 2025 से डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु दिनांक 25 सितम्बर, 2025 की तिथि निर्धारित थी। उक्त सर्वे हेतु दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 एवं सर्वे के अप्रूवल हेतु दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की जाती है। उक्त कार्य को एक विशेष अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए।
2. शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 (कृषि अनुभाग-5), दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने हेतु दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 15 नवम्बर, 2025 तक एक विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक-एक कैम्प का आयोजन कराते हुए फार्मर रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए।
3. डिजिटल क्राप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने वाले जनपदों के जिलाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
4. ई-खसरा पड़ताल हेतु जिलाधिकारी अपने विवेक से पूर्व की भांति लेखपालों से करा सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- ई खसरा पडताल(DCS) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-48/2025/913/2025/1862321/2025/12-5/39/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 30 जुलाई, 2025 व शासनादेश संख्या-54/2025/1153/2025/1862321/2025/12-5/39/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 11 सितम्बर, 2025 तथा फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, दिनांक 12 जून, 2024 व शासनादेश संख्या-52/2025/1081/2025/12-5099/23/2023, दिनांक 29 अगस्त, 2025 में निर्गत अन्य दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू होंगे।

भवदीय,
एस0पी0गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-56/2025/1224/2025/1862321/2025/12-5/39/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. संयुक्त कृषि निदेशक/योजनाधिकारी,
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।